राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/2019/4346 दिनांक : 25-10-2019

शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– 49 नगरपालिकाओं के आम चुनाव नवम्बर, 2019 – आदर्श आचरण संहिता की पालना के संबंध में।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में 49 नगरपालिकाओं के आम चुनाव कराये जाने की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता भी लागू हो गई है (प्रति संलग्न)। आदर्श आचरण संहिता की पालना सुनिश्चित करावें।

नगरपालिका संस्थाओं के निर्वाचित जन प्रतिनिधिगण द्वारा चुनाव के समय राजकीय/स्थानीय निकाय के वाहनों का उपयोग चुनाव प्रचार में करने की संभावना रहती है। अतः सरकारी/स्थानीय निकाय के किसी भी वाहन का उपयोग अध्यक्ष/सभापति/मेयर/उपाध्यक्ष/उपसभापति/उपमेयर व अन्य किसी भी जन प्रतिनिधि द्वारा नहीं किया जाए। किसी भी जन प्रतिनिधि द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान राजकीय सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जाए। भूमि आवंटन, पट्टा वितरण, ऋण वितरण आदि के निर्णय भी चुनाव समाप्ति तक नहीं लिए जावें और न ही इन नगरपालिकाओं की बैठक चुनाव समाप्ति तक आयोजित की जावें।

इस हेतु आप द्वारा प्रसारित किये गये आदेशों की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

सलंग्नः–नगर निकायों की सूची एवं चुनाव कार्यक्रम।

भवदीय,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक : एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/2019/4347 दिनांक : 25-10-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हैः–

1. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।

राजस्थान सरकार
स्वायत शासन विभाग राज.जयपुर

क्रमांकः प.10( )चुनाव/जन/स्वा0शा0वि/19/11790–11791 दिनांकः 25/10/2019

जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त राजस्थान ।

आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,
समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाए राज.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के माह,नवॅम्बर 2019 में आम चुनाव की घोषणा होने से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाने के कारण उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें ।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ 4(1)(1)नपा / रानिआ / 2019 / 4339 दिनांक : 25-10-2019

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– राज्य में 49 नगर निकायों के आम चुनाव माह नवम्बर, 2019 में आम चुनाव अभियान अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा अथवा उनकी ओर से राजनैतिक नेताओं या कर्मचारियों द्वारा स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, आदि के वाहनों, मोटर कारों, आदि के प्रयोग का निषेध।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत 49 नगर निकायों के आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। स्थानीय निकायों सार्वजनिक उपक्रमों, आदि के वाहनों का चुनाव प्रचार से संबंधित कार्यों के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रयोग में लेना राजकीय तन्त्र का दुरूपयोग माना जावेगा, क्योंकि ये निकाय किसी न किसी रूप में सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा पोषित होते हैं। मतदाताओं का ऐसे वाहनों में मतदान केन्द्र तक प्रवहन भी एक निर्वाचन अपराध एवं भ्रष्ट आचरण है। इसलिए निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए राजकीय वाहनों का दुरूपयोग रोका जाना चाहिए।

अतः अनुरोध है कि, प्रदेश में कार्यरत ऐसे स्थानीय निकायों जैसे नगरपलिकाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, आदि से संबंधित समस्त अधिकारियों को तुरन्त अलंघनीय निर्देश देवें कि, निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा हो जाने तक इन निकायों के वाहनों का निर्वाचन के कार्यो के लिए अभ्यर्थियों और उनके लिए कार्य कर रहे पदाधिकारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी भी रूप में उपयोग में लेना निषिद्ध रखें।

सलंग्नः– चुनाव कार्यक्रम एवं सूची

भवदीय,
25/10
(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक : एफ 4(1)(1)नपा / रानिआ / 2019 / 4340-41 दिनांक : 25-10-2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

राजस्थान सरकार
स्वायत शासन विभाग राज.जयपुर

क्रमांकः प.10( )चुनाव / जन / स्वा0शा0वि / 19 / 11792–11793 दिनांकः 25 / 10 / 2019

जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त राजस्थान ।
आयुक्त / अधिशासी अधिकारी,
समस्त नगर निगम / परिषद / पालिकाए राज.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के माह नवॅम्बर 2019 में आम चुनाव की घोषणा होने से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाने के कारण उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें ।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगरीय निकायों हेतु आम चुनाव कार्यक्रम
(माह नवम्बर, 2019)

➢ सदस्य पद के लिए

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	01.11.2019 (शुक्रवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	05.11.2019 (मंगलवार)
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	06.11.2019 (बुधवार)
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अन्तिम तिथि	08.11.2019 (शुक्रवार)
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	09.11.2019 (शनिवार)
6.	मतदान की तिथि	16.11.2019 (शनिवार)
7.	मतदान का समय	प्रातः 7.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
8.	मतगणना की तिथि एवं समय	19.11.2019 (मंगलवार)

➢ अध्यक्षीय पदों के लिए

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	20.11.2019 (बुधवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	21.11.2019 (गुरूवार)
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	22.11.2019 (शुक्रवार)
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अन्तिम तिथि	23.11.2019 (शनिवार)
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	23.11.2019 (शनिवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	मतदान की तिथि	26.11.2019 (मंगलवार)
7.	मतदान का समय	प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
8.	मतगणना की तिथि एवं समय	26.11.2019 (मंगलवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➢ उपाध्यक्षीय पदों के लिए

1.	निर्वाचन की तिथि	27.11.2019 (बुधवार)
2.	निर्वाचन प्रक्रिया हेतु समय–सारणी	
	बैठक का प्रारम्भ	प्रातः 10.00 बजे
	नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण	प्रातः 11.00 बजे तक
	नामांकन पत्रों की संवीक्षा	प्रातः 11.30 बजे से
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 2.00 बजे तक
	मतदान यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 2.30 बजे से 5.00 बजे तक
	मतगणना	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

Scanned by CamScanner

माह नवंबर 2019 में चुनाव से संबंधित नगरीय निकायों की वर्तमान स्थिति :

क्र.सं.	जिला	निकाय का नाम	कुल वार्ड सं.
1.	अजमेर	नगर परिषद ब्यावर	60
2.		नगर पालिका पुष्कर	25
3.		नगर पालिका नसीराबाद नवगठित	20
4.	अलवर	नगर परिषद अलवर	65
5.		नगर परिषद भिवाडी	60
6.		नगर पालिका थानागाजी नवगठित	25
7.	बासंवाडा	नगर परिषद बांसवाडा	60
8.		नगर पालिका परतापुर गढी नवगठित	25
9.	बाडमेर	नगर परिषद बाडमेर	55
10.		नगर परिषद बालोतरा	45
11.	बीकानेर	नगर निगम बीकानेर	80
12.	बांरा	नगर पालिका मांगरोल	35
13.		नगर पालिका छबडा	35
14.	भरतपुर	नगर निगम भरतपुर	65
15.		नगर पालिका रूपवास नवगठित	25
16.	चित्तौडगढ	नगर परिषद चितौडगढ	60
17.		नगर पालिका निम्बाहेडा	45
18.		नगर पालिका रावतभाटा	40
19.	चूरू	नगर परिषद चूरू	60
20.		नगर पालिका राजगढ (चूरू)	40
21.	दौसा	नगर पालिका महवा नवगठित	25
22.	हनुमानगढ	नगर परिषद हनुमानगढ	60
23.	जैसलमेर	नगर परिषद जैसलमेर	45
24.	जालौर	नगर परिषद जालौर	40
25.		नगर पालिका भीनमाल	40
26.	झुंझनूं	नगर परिषद झुंझनूं	60
27.		नगर पालिका पिलानी	35
28.		नगरपालिका बिसाउ	25
29.	जोधपुर	नगर पालिका फलौदी	40
30.	कोटा	नगर पालिका सांगोद	25
31.		नगर पालिका कैथून	25
32.	नागौर	नगर पालिका मकराना	55
33		नगर पालिका डीडवाना	40
34.	पाली	नगर परिषद पाली	65
35.		नगर पालिका सुमेरपुर	35
36.	राजसमन्द	नगर पालिका नाथद्वारा	40
37.		नगर पालिका आमेट	25
38.	सीकर	नगर परिषद सीकर	65
39.		नगर पालिका नीमकाथाना	35
40.		नगर पालिका खाटूश्यामजी नवगठित	20
41.	श्रीगंगानगर	नगर परिषद श्रीगंगानगर	65
42.		नगर पालिका सूरतगढ	45
43.	सिरोही	नगर परिषद सिरोही	35
44.		नगर पालिका माउण्ट आबू	25
45.		नगर पालिका शिवगंज	35
46..		नगर पालिका पिण्डवाडा	25
47.	टौंक	नगर परिषद टौंक	60
48.	उदयपुर	नगर निगम उदयपुर	70
49.		नगर पालिका कानोड	20

एस.सी. 7(सामा.5 –2महिला) एस.टी 3(सामा 2–1महिला), ओ.बी.सी.8 (सामा.5– महिला 3)

Scanned by CamScanner